अनुसूची 14 – फॉरम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
13/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **विविध वाद क्रमांक 11/2022** **भरत सिंह बनाम् प्रदीप कुमार सिंह व अन्य** प्रश्नगत् विविध वाद धारा–217 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत दायर किया गया है, जिसमें दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद–70–R15/2018-19 में उपायुक्त, राँची के पारित आदेश को चुनौती दी गयी है। प्रश्नगत् विषय ग्राम–बारेडीह, अंचल–नगड़ी में अवस्थित भूमि के नामान्तरण से संबंधित है। दाखिल–खारिज वाद संख्या–788–R27/2007-08 में अंचल अधिकारी, रातु द्वारा उक्त भूमि का दाखिल–खारिज अस्वीकृत किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में अपील वाद संख्या–144–R15/2008-09 दायर किया गया, जहाँ सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रश्नगत् विषय को दीवानी मामला मानते हुये नामान्तरण अस्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या–33–R15/2008-09 दायर किया गया। इस वाद में अपर समाहर्त्ता द्वारा दखल कब्जा के आधार पर आवेदक के पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत किया गया। विपक्षियों द्वारा इस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय झारखण्ड रिट याचिका–815/2011 दायर की गयी। उक्त याचिका में पारित आदेश के आलोक में उपायुक्त न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या–17–R15/2018-19 दायर किया गया, जिसमें उपायुक्त द्वारा इस पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में पुनः विविध वाद दायर किया गया है। आवेदकों को प्रश्नगत् मामले में इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट करने हेतु निदेशित किया गया। Bihar Tenent Holding (Maintance of Records) Act-1973 के प्रावधानों के अनुसार अंचल अधिकारी, नामान्तरण हेतु	

अनुसूची 14 – फॉरम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	मूल प्राधिकार है, जिसके पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्त्ता अपीलीय प्राधिकार घोषित है। धारा–16 के प्रावधानों के अनुसार उपायुक्त पुनरीक्षण प्राधिकार के रूप में घोषित है। प्रश्नगत् अधिनियम में कहीं भी द्वितीय पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है। धारा–217 कास्तकारी अधिनियम के तहत् यह आवेदन दायर किया गया है। उक्त प्रावधानों में कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् पारित आदेशों की ही समीक्षा करने की शक्ति निहित है। नामान्तरण के आदेश Bihar Tenent Holding (Maintance of Records) Act-1973 के प्रावधानों के अनुसार पारित किये जाते है। स्पष्टतः विविध आवेदन के माध्यम से नामान्तरण वाद में पारित आदेशों की समीक्षा किया जाना समीचीन नहीं है। आवेदकों के तरफ से प्रश्गनत् मामले में निम्न न्यायालयों के आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने का कोई दावा नहीं किया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस न्यायालय में यह वाद संधारणीय नहीं है। अतः इस विविध वाद को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित 13/6/22 प्रमण्डलीय आयुक्त 13/6/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.24 12:47:24 +05:30
Location: 192.168.1.40